58

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

–::संकल्प::–

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल में I.A.P योजनान्तर्गत मेहन्दिया उसरी पथ में जयपुर स्कूल से सबजपुरा पथ निर्माण कार्य में अनियमितता के संबंध में प्राप्त परिवाद पत्र की निगरानी प्रमंडल संख्या–03, ग्रामीण कार्य विभाग से की गयी जाँच में विलंब से मापी लेने एवं अनेक स्मारों के बाबजूद श्री देवेन्द्र दास, तदेन सहायक अभियंता कार्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने के लिए श्री दास के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 586 दिनांक 26.03.2018 द्वारा योजना एवं विकास विभाग के माध्यम से उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री दास के पदस्थापित कार्यालय की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात उनके विरूद्ध अद्यतन प्रपत्र में पुनः आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 236 अनु0 दिनांक 09.01.2020 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. श्री दास के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में उन्हें बार–बार स्मारित किये जाने के बाबजूद स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने के कारण श्री दास के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या 881 दिनांक 16.07.2021 द्वारा मुख्य अभियंता–02, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। तत्पश्चात् श्री दास के 31.01.2023 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप आदेश संख्या–336 दिनांक 06.02.2024 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी–सह–मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 916 अनु0 दिनांक 18.12.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में श्री दास के विरूद्ध गठित आरोपों को "अप्रमाणित माना जा सकता है" का मंतव्य दिया गया। विभागीय समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा अंकित उक्त मंतव्य स्पष्ट नहीं होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(1) में निहित प्रावधान के तहत उक्त जाँच प्रतिवेदन/अधिगम संचालन पदाधिकारी को वापस करते हुए श्री दास के विरूद्ध गठित आरोपों की पुनः जाँच कर वांछित जाँच प्रतिवेदन/अधिगम स्पष्ट मंतव्य के साथ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जिसके आलोक में संचालन पदाधिकारी–सह–मुख्य अभियंता–3 द्वारा पत्रांक 277 दिनांक 21.03.2025 के माध्यम से पुनः जाँच प्रतिवेदन/अधिगम स्पष्ट मंतव्य के साथ उपलब्ध कराया गया। जिसमें श्री दास के विरूद्ध गठित अरोपों को अप्रमाणित होने का स्पष्ट मंतव्य दिया गया।

4. उक्त के आलोक में मामले के समग्र समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अंकित मंतव्य से सहमत होते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत मामले को संचिकास्त करने का आदेश प्राप्त हुआ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री देवेन्द्र दास, तदेन सहायक अभियंता कार्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त करते हुए इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

17/6/25

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

(snk-letter-m) Ph-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com, secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—01—541/2011 6242 /पटना/दिनांक :— 19.6.25

प्रतिलिपि :—अवर सचिव, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

17/6/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—01—541/2011 6242 /पटना/दिनांक :— 19.6.25

प्रतिलिपि :—महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/6/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—01—541/2011 6242 /पटना/दिनांक :— 19.6.25

प्रतिलिपि :— माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल औरंगाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—5 एवं प्रशाखा—12, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/6/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—01—541/2011 6242 /पटना/दिनांक :— 19.6.25

प्रतिलिपि :— श्री देवेन्द्र दास, तदेन सहायक अभियंता कार्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सेवानिवृत्त, **पत्राचार का पता**:—महबूब खान टोला, नियर जामा मस्जिद, पो0—पूर्णियाँ, थाना—खजांची हाट, जिला पूर्णियाँ, पिन—854301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/6/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—01—541/2011 6242 /पटना/दिनांक :— 19.6.25

प्रतिलिपि :— आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संबंधितों के ई—मेल पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/6/25
अवर सचिव